

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ जिला अलवर

सोदित वर्ग: बनाम सुब्बा वर्ग:

प्रकरण सं. 31.6/24 तारीख रजू 28/2/24

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
28.2.24	<p>पत्रावली हस्तगत हुई। वहील प्राणी में सापना पत्र 0989 CPC पेश हुआ। सापना पत्र हज पंजिका हो। सापना मूत्र में असापिण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 18.3.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज</p>	
18.03.24	<p>पत्रावली पेश। P.O. साख... दिनांक... है। शक्ति</p> <p>पत्रावली दिनांक... 22/04/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज</p>	
22/4/24	<p>पत्रावली पेश। P.O. साख... दिनांक... है। शक्ति</p> <p>पत्रावली दिनांक... 27/5/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज</p>	
21.6.24	<p>पत्रावली पेश। P.O. साख... दिनांक... है। शक्ति</p> <p>पत्रावली दिनांक... 21/6/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज</p>	
21.6.24	<p>पत्रावली हस्तगत हुई। वहील प्राणी उपस्थित। वहील प्राणी असापिण की तलबी हेतु नोटिस जारी करवाये। पत्रावली वाले तलबी भाषण दिनांक 03.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर
अहक
जारी

19.8.25

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली देखवादी
से तलबी में विचारधीन हैं। तलबी हेतु
वार-खार भोगा किया जाता है परन्तु आदिम
तक तलबी नहीं करता गयी है। अतः
पत्रावली तलबी के अभाव में सिविल हाजिया
सिल्ला के अधिन 9 नियम 05 के तहत खासिय
की जाती है। पत्रावली केवल शर्त क्षेत्र (अख्त)
से कम हो। बाद तत्काल दायित्व दफ्तर में।



उपसह्य अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) रज०